न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 177/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

रामेश्वर पुत्र संतलाल जाति महाजन साकिन नेठराना।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : पेरोकार राज **: वादी**
वकील श्री श्रवण सहारण **: प्रतिवादी**
निर्णय **दिनांक :** 10.5.18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 6 एनटीआर के मु0नं0 53 के किला नं0 19 की भूमि वर्तमान में रामेश्वर पुत्र संतलाल जाति महाजन के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि में से 232 वर्गमीटर को बिना रूपान्तरण करवाये रिलायंस का मोबाईल टावर लगाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। मु0नं0 53 के किला नं0 19 के कुल 232 वर्गमीटर खातेदारी भूमि में हो रहे गैर कृषिक कार्यो के लिए खातेदार दण्ड के भागीदार है। विवादित कृषि भूमि को खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में संदीप चौधरी हाल तहसीलदार भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श 1, नजरी नक्शा प्रदर्श 2, प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 एनटीआर सम्वत् 2069–72 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी में रामेश्वर के सशपथ बयान करवाये गये।

बहस सुनी गई। अपनी बहस में पेरोकार राज ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मात्र कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है। धारा 177 काश्तकारी अधिनियम के तहत अहितकर कार्य करने या काश्तकारी अधिनियम की शर्तें भंग करने पर (कृषक) खातेदार को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से भू अभिधारी रामेश्वर के विरूद्ध विवादित कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवासी, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि भू अभिधारी ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका पर मुख्य परीक्षा से ये साबित है कि भू अभिधारी प्रतिवादी रामेश्वर ने कृषि भूमि के 232 वगर्गमीटर में प्लाट काटकर व मकान बनाकर अकृषि कार्यों में उपयोग बिना किसी विधि सम्मत आदेश, सम्परिर्वतन आदेश, लाईसेंस, परमिट के किया है। अत : अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। चूंकि प्रतिवादी बाद सम्मन तामील उपस्थित नहीं आया है न ही कोई जबाब पेश किया है। दूसरी तरफ वादी अपने पक्ष को साबित करने में सफल रहा है व प्रतिवादी वाद भूमि चक 6 एनटीआर के मु0नं0 53 के किला नं0 19 की भूमि का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वादी द्वारा अकेले प्रतिवादी के विरूद्ध ही वाद लाया गया है।

अतः वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाद भूमि भूमि चक 6 एनटीआर के मु0नं0 53 के किला नं0 19 की भूमि में रामेश्वर पुत्र संतलाल जाति महाजन के नाम दर्ज 232 वर्गमीटर कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। वादभूमि में मोबाईल टावर लगा हुआ है जो कि जनोपयोगी सेवा है, जिसे तत्काल बंद किया जाना आम जनता के हितों के प्रतिकूल है। तहसीलदार भादरा मोबाईल दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीकॉम कम्पनी व सम्बंधित टावर कम्पनी के साथ विधिवत प्रक्रिया अपनाकर वादभूमि से अकृषिक कार्य सरंचना मोबाईल टावर हटवाया जाना सुनिश्चित करे। विधिवत प्रक्रिया द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी मोबाईल टावर न हटाए जाने पर तहसीलदार भादरा वादभमि से मोबाईल टावर हटाने हेतु स्वतंत्र है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 177/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

रामेश्वर पुत्र संतलाल जाति महाजन साकिन नेठराना।

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष पेरोकारराज एवं वकील प्रतिवादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाद भूमि भूमि चक 6 एनटीआर के मु0नं0 53 के किला नं0 19 की भूमि में रामेश्वर पुत्र संतलाल जाति महाजन के नाम दर्ज 232 वर्गमीटर कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। वादभूमि में मोबाईल टावर लगा हुआ है जो कि जनोपयोगी सेवा है, जिसे तत्काल बंद किया जाना आम जनता के हितों के प्रतिकूल है। तहसीलदार भादरा मोबाईल दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीकॉम कम्पनी व सम्बंधित टावर कम्पनी के साथ विधिवत प्रक्रिया अपनाकर वादभूमि से अकृषिक कार्य सरंचना मोबाईल टावर हटवाया जाना सुनिश्चित करे। विधिवत प्रक्रिया द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी मोबाईल टावर न हटाए जाने पर तहसीलदार भादरा वादभमि से मोबाईल टावर हटाने हेतु स्वतंत्र है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ